फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री राजेन्द्र मेघवाल निवासी 211, गठमगरी, शोभागपुरा उदयपुर जिला उदयपुर – **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 42/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 01.07..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत प्रथम अपील नोटिस कार्यालय को दिनांक 30.05.2025 को प्राप्त हुआ। एवं अपीलार्थी चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार राजसमन्द से होने से अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पत्र जरिये पत्र क्रमांकः– RTI/2025/32 दिनांक 10.06.2025 से तहसीलदार राजसमन्द को भिजवाया गया। एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– आर.टी.आई/25/409–410 दिनांक 13.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्रासंगिक पत्रानुसार इस कार्यालय को दिनांक 11.06.2025 को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया अपीलार्थी का पूर्व में आवेदन पत्र अनुसार चाही गई सूचना का कोई आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का नियमानुसार शुल्क 36/– रूपये बनता है जो अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा कराये जाने पर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाये जाने की कृपा करावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्र क्रमांक :– आर.टी.आई/25/409–10 दिनांक 13.06.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया गया वांछित सूचना तैयार कर ली गई जिसके नियमानुसार	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

राशि 36/– रूपये राजकोष में जमा करवा कर वांछित सूचना प्राप्त करे।

इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना बाबत् नियमानुसार राशि जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करे। अतः उक्त अपील को निर्णित किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)